

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत पारेषण मण्डल— प्रथम
CIN-40101UP2004SGC028687
उत्तर प्रदेश पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
पनकी—कानपुर

दूरभाषः— 2261069

पत्रांक— **183** /वि०प्र०म०प० (का०) /टी०-१

दिनांक **07.02.2024**

विषयः— ई— निविदा प्रकाशन हेतु।

1— हिन्दुस्तान टाइम्स लखनऊ।

2— अमर उजाला कानपुर।

3— इण्डियन एक्सप्रेस लखनऊ।

4— दैनिक जागरण कानपुर।

प्रथमप्रति

महोदय,

कृपया संलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में दिनांक शीघ्रतम अंक में कम से कम स्थान में (हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिये 8—10 प्वाइन्ट टाइप में तथा अंग्रेजी के समाचार पत्रों के लिये 6—8 प्वाइन्ट टाइप में) समाचार पत्र के केवल एक कालम में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हैंडिंग व नीचे का नाम व पता यथा सम्बव एक ही लाइन में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।

- 1— निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ (All India Edition) पर ही करने की व्यवस्था करें।
- 2— प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण बाऊचर प्रतियाँ संलग्न करते हुये भुगतान हेतु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल—प्रथम उ० प्र० पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि०, पनकी, कानपुर को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्बव नहीं होगा।
- 3— अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, उ० प्र० पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि०, पनकी, कानपुर द्वारा सम्बन्धित बिलों को पारित करने के पश्चात पारित बिलों को भुगतान हेतु कार्यालय उप मुख्य लेखाधिकारी (पारे०द०प०), बी—६८२, कमला नगर, आगरा को प्रेषित किये जायें।
- 4— संलग्न हिन्दी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में ही किया जायेगा।
- 5— विज्ञापन प्रकाशित होते ही बिलम्बतः एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाय अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 6— यदि आपको सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हों तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें। अधोहस्ताक्षरी को अबिलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
- 7— विज्ञापन के अन्त में सबसे छोटे टाइप में “राष्ट्र हित में बिजली बचायें” का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।
- 8— उक्त निर्देशों के बिपरीत तथा गलत अथवा भद्रदे छंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

संलग्न :— विज्ञापन आदेश प्रथम व द्वितीय प्रति।

भवदीय

CC

अधीक्षण अभियन्ता

विद्युत प्रेषण मण्डल—प्रथम

०० पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि०

प्रतिलिपि विज्ञापन सामग्री सहित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मुख्य अभियन्ता (पारे०द०प०), उ० प्र० पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि०, आगरा।

2— उप मुख्य लेखाधिकारी (पारे०द०प०) उ० प्र० पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि०, बी—६८२, कमला नगर, आगरा—कानपुर

3— कोषा लिपिक मण्डल कार्यालय / सम्बन्धित निविदा पत्रावली/कट फाइल।

०१०२६

अधीक्षण अभियन्ता

अधीक्षण अभियन्ता

विद्युत प्रेषण मण्डल—प्रथम

०० पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि०

०१०२६

पनकी—कानपुर


उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

निविदा सूचना


इस कार्यालय के द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादन हेतु अनुभवी, दक्ष एवं जी0एस0टी0 में पंजीकृत ठेकेदारों से ई-निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं जिसका विस्तृत विवरण टेन्डर बेवसाइट www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

ई-निविदा संख्या -51 / वि0पा0म0प्र0का0 / 2023-24 / विद्युत पारेषण मण्डल प्रथम के अन्तर्गत विद्युत 400 के0वी0, 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 उपकेन्द्रों पर मेनपावर की आपूर्ति, परिचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी समस्त कार्य। ई-निविदा संख्या - 52 / वि0पा0म0प्र0का0 / 2022-23 / विद्युत पारेषण मण्डल प्रथम के अन्तर्गत विद्युत 400 के0वी0, 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 लाइनों की पेट्रोलिंग एवं अनुरक्षण सम्बन्धी समस्त कार्य।

ई-निविदा संख्या -51 एवं 52 दिनांक 23.02.2024 को खोली जायेगी।


अधीक्षण अभियन्ता

विद्युत पारेषण मण्डल-प्रथम, पनकी, कानपुर
अधीक्षण अभियन्ता

“राष्ट्र हित में बिजली बचायें”  उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

उपभोक्ता सेवा हेतु सम्पर्क करें— www.uppcl.org

उपरोक्त विवरण ही प्रकाशित किया जाना है निम्न नाम, पदनाम एवं मुहर को प्रकाशित नहीं किया जाना है।

पत्रांक- 183/वि0प्र0म0प0 (का0) / टी0-1

दिनांक 07.02.2024